रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1984

वैशाख 7, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 940/सत्रह-वि01-1(क)-24-1983

लखनऊ, 27 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1984 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1984)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) धारा 2 बारह अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) और खण्ड (ख) 8 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे, धारा 3 के खण्ड (क) का उपखण्ड (दो) 12 अक्तूबर, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (2) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपधारा (1) में उल्लिखित सदस्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, निम्नलिखित को क्षेत्र समिति के सदस्य के रूप में अनुमेलित करेंगे, अर्थात्—"

धारा 18 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (4) में, उपखण्ड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष या प्रशासक" रख दिये जायेंगे; और

(दो) खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(5) पाँच से अनधिक उतने व्यक्ति जितने विनिर्दिष्ट किये जायें, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चुना जायगा, जिसमें से एक व्यक्ति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों में से होगा, एक व्यक्ति भूतपूर्व सैनिकों में से और शेष व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यावसायिक कार्यों में लगे हुये व्यक्तियों में से होंगे।

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ—

(क) 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया हो और जो ऐसे कार्यकलापों में भाग लेने के कारण—

(1) कम से कम दो मास की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भुगत चुका हो; या

(2) विचाराधीन कैदी के रूप में या नजरबन्दी कैदी के रूप में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए जेल में निरुद्ध किया गया हो; या

(3) फरार घोषित किया गया हो; या

(4) गोली से घायल हुआ हो; या

(5) कम से कम दस कोड़े की सजा पाया हो;

और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने "पेशावर काण्ड" में भाग लिया हो, या जो आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सिपाही या इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने क्षमा मांगी हो,

(ख) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ के सशस्त्र बल में किसी भी श्रेणी (रैंक) में (चाहे योधक या अनायोधक) के रूप में कम से कम छः मास की निरन्तर अवधि के लिए कार्य किया हो और दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त किये जाने से भिन्न रूप में निर्मुक्त किया गया हो"।

(ख) उपधारा (2) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायगा, अर्थात्—

"उपधारा (1) में उल्लिखित सदस्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, निम्नलिखित को जिला परिषद् के सदस्यों के रूप में अनुमेलित करेंगे—"

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्त अध संख सन्

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 940(2)/XVII-V—1-1(KA)-24-1983

Dated Lucknow, April 27, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Samiti Tatha Zila Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 26, 1984.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS (AMENDMENT) ACT, 1984

[U. P. Act No. 8 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961

It is hereby enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1984.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on April 12, 1983 sub-clause (i) of clause (*a*) and clause (*b*) of section 3 shall be deemed to have come into force on August 8, 1983, sub-clause (ii) of clause (*a*) of section 3 shall be deemed to have come into force on October 12, 1983 and the rest of the provisions shall come into force at once.

Amendment of section 6 of U. P. Act no. 33 of 1961.

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2), *for* the opening paragraph, the following paragraph shall be *substituted*, namely:

"Subject to the provisions of sub-section (2) of section 10, the members mentioned in sub-section (1) shall, subject to the conditions and in the manner prescribed, co-opt the following as members of the Kshettra Samiti, namely :—"

Amendment of section 18

3. In section 18 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1)—

(i) in clause (iv), in sub-clause (*b*), *for* the words "the Chairman" the words "the Chairman or the Administrator" shall be *substituted*; and

(ii) *for* clause (v), the following clause shall be *substituted*, namely—

"(v) so many persons, not exceeding five, as may be specified, to be chosen by the State Government, one of whom shall be from amongst the freedom fighters, one from amongst ex-servicemen, and the rest from amongst persons engaged in social, cultural, literary and professional activities ;"

Explanation—For the purposes of this clause—

(*a*) "freedom fighter" means a person who took part in the struggle for Indian independence and for participation in such activities—

(i) suffered imprisonment for a period of not less than two months; or

(ii) was detained in jail for a period of not less than three months as undertrial prisoner or as a detenue ; or

(iii) was declared absconding ; or

(iv) suffered bullet wound ; or

(v) suffered punishment of at least ten lashes;

and includes a person who took part in 'Peshawar Kand' or was a certified soldier of the Azad Hind Fauj or was a certified member of the India Independence League but does not include any such person who begged for pardon ;

(*b*) "ex-serviceman" means a person who had served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Indian Union for a continuous period of not less than six months and has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(*b*) in sub-section (2), *for* the opening paragraph, the following paragraph shall be *substituted*, namely :—

"The members mentioned in sub-section (1) shall, subject to the condition and in the manner prescribed, co-opt as members of the Zila Parishad."

Repeal and saving.

4. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Sanshodhan) Adhyadesh, 1984, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section(1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 25 सा० (विधा०)—(430)—1984—725 (मेक०)।